

प्रकरण संख्या :-38/2024

प्रकरण दायर दिनांक:- 15.03.2024


प्रकरण निर्णय दिनांक:- 09.04.2024

सरकार बनाम अयोध्याप्रसाद वगै.

राजस्व ग्राम उदेरवाडा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

तहसीलदार बाँदीकुई के पत्र क्रमांक: राजस्व/2024/246 दिनांक: 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम उदेरवाडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 62/383, 298, 62/380, 399/62, 61, 30, 31, 32, 62/384, 391/62, 62/382, 62/381, 4, 62/367, 33, 34, 60, 300 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में भू.अ. निरीक्षक बडियाल कलॉ एवं पटवारी हल्का मूण्डघिस्या मौका रिपोर्ट दिनांक: 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम उदेरवाडा खाता सं. नया 98 पुराना 96, नया 88 पुराना 86, नया 107 पुराना 102, नया 32 पुराना 33, नया 40 पुराना 41, नया 112 पुराना 1, नया 18 पुराना 18, नया 59 पुराना 56, नया 81 पुराना 35, नया 104 पुराना 0, नया 19 पुराना 19, नया 1 पुराना 1, नया 113 पुराना 83, संलग्न नजरी नक्शा जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जयें नोटिस विधिवत की गई। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न भू.अ. निरीक्षक बडियाल कलॉ एवं पटवारी हल्का मूण्डघिस्या मौका रिपोर्ट दिनांक: 11.03.24, राजस्व जमाबन्दी एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया। प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 298 किस्म गै.मु. नाला, 399/62 किस्म चारागाह, 62/384 किस्म चारागाह, 391/62 किस्म चारागाह, 04 किस्म गै. मु. आबादी, 62/367 किस्म गै. मु. खेल मैदान, 300 किस्म गै. मु. नाला में से होकर अंकन करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त भूमि में से होकर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
आबादी अधिकारी
बाँदीकुई

तारीख
दुबस

दुबस या कार्यवाही मय इनिशियलस जन

कसल्लुगार येकर धाड तकमील कायिल
कयार बी) ay

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

नाकर न नरिस
अदरकम नो न
दुबस की नरिस
में नारी नो

डिप्टी कमिश्नर
हनुमन्त